विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 25 फरवरी, 2008 को पूर्वाहन 09.30 बजे को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की बाईसवीं (22वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 25 फरवरी, 2008 को पूर्वाहन 09.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए 439 औपचारिक अनुमोदनों में से अब तक 201 एसईजेड अधिसूचित हो चुके हैं। इन एसईजेड में 67347 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। नई पीढ़ी के विशेष आर्थिक क्षेत्रों द्वारा 97478 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। यह केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित 7 एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए रोजगार के अलावा है जो 1.83 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए है।

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. सिपकॉट औद्योगिक विकास केंद्र, गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली तालुक, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 103.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सभी प्रयोजनों के लिए टायर एवं ट्यूब का निर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी पुष्टि की कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि संस्पर्शी है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सिपकॉट औद्योगिक विकास केंद्र, गंगैकोंडन गांव, तिरुनेलवेली तालुक, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में 103.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकॉट) द्वारा सभी प्रयोजनों के लिए टायर एवं ट्यूब का निर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. ग्राम हरगढ़, तहसील सिहोर, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में 101.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खनिज और खनिज आधारित उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (जबलपुर) लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 3)

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भी सूचित किया कि यह एमपीएसआईडीसी की सहायक कंपनी है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम हरगढ़, तहसील सिहोर, जिला जबलपुर, मध्य

प्रदेश में 101.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास (जबलपुर) लिमिटेड द्वारा खनिज और खनिज आधारित उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. जीआईडीसी, पानोली औद्योगिक संपदा, पनोली, गुजरात में 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित भमि पर कुछ संरचनाएं मौजूद हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जीआईडीसी, पानोली औद्योगिक संपदा, पनोली, गुजरात में 130 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मौजूदा संरचनाओं को ध्वस्त करने के अधीन तथा गृह मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने की शर्त के अधीन भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. सर्वे नंबर 83/1, प्लाट नंबर 2, एपीआईआईसी, हैदराबाद नालेज सिटी (फेज 1), रायदुर्ग गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 5) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 83/1, प्लाट नंबर 2, एपीआईआईसी, हैदराबाद नालेज सिटी (फेज 10.12), रायदुर्ग गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में देवभूमि रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. चेयार सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेयार तालुक, तिरुवन्नमलै जिला, तमिलनाडु में 103.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में व्यापार एवं लाजिस्टिक गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया तथा चेयार

सिपकॉट औद्योगिक क्षेत्र, चेयार तालुक, तिरुवन्नमलै जिला, तमिलनाडु में 103.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (सिपकॉट) द्वारा व्यापार एवं लाजिस्टिक गतिविधियों सहित आटोमोबाइल / आटोमोबाइल पार्ट्स / आटो एंसिलरी तथा सहायता सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

6. देवग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सैद्धांतिक अनुमोदन बायोटेक सेक्टर के लिए प्रदान किया गया था तथा अब विकासक सेक्टर को बदलकर आईटी / आईटीईएस कर रहा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने विकासक के अनुरोध का समर्थन किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए विकासक के अनुरोध मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया और देवग्राम, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर सहित आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया।

7. बी-2 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), वरोरा विकास केंद्र, वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 102.159 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 1 का परिशिष्ट) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बी-2 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), वरोरा विकास केंद्र, वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 102.159 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक विद्युत क्षेत्र में डीटीए बिक्री के लिए टैरिफ, सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क का रिफंड आदि के संबंध में मानदंडों, जिन्हें सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है, का पालन करने का लिखित वचन पत्र प्रस्तुत करेगा। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसार, विकासक स्टैंड अलोन विद्युत एसईजेड पर अंतिम दिशानिर्देशों का पालन करने का भी वचन देगा, जब जाएंगे।

8. टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अनंत राय इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 2 का परिशिष्ट) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने टीपी-1, राय, सोनीपत, हरियाणा में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स अनंत राय इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ख) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. प्रेगनापुर गाँव, गजवेल मंडल, मेडक जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 10.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स विवो बायोटेक लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 1 - क्रमांक 2) :

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित एसईजेड से एक आम रास्ता जा रहा है। गृह मंत्रालय ने भी पत्र दिनांक 22 फरवरी 2008 के माध्यम से सूचित किया है कि उनकी टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. कुसुमागिरि, कक्कानाड़, एर्नाकुलम जिला, केरल में 99.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मद संख्या 2 - क्रमांक 1) :

नोट किया गया कि भूमि के जबरन अधिग्रहण पर एक अभिवेदन प्राप्त हुआ है जिसे टिप्पणी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि प्रस्तावित भमि पर कुछ संरचनाएं मौजूद भी हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि मुद्दे की जांच करने के बाद वे अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेंगे। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. राजस्व ग्राम बबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा में 24.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स वेलग्रो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा की मद संख्या 1 - क्रमांक 3 का परिशिष्ट) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि प्रस्तावित एसईजेड की भूमि का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन एनर्जी ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

(ii) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 1 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से बाहर संचालित किसी गतिविधि के लिए कोई ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iii) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने केवल एसईजेड के प्रयोग के लिए 700 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट सहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से बाहर संचालित किसी गतिविधि के लिए कोई ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iv) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन कम्युनिकेशन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 2 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से बाहर संचालित किसी गतिविधि के लिए कोई ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(v) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन इनफोटेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा अनुरोध वापस ले लिया गया।

(vi) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक द्वारा अनुरोध वापस ले लिया गया।

(vii) द्रोणगिरि में नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में संचालित की जाने वाली अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए मैसर्स अर्बन वाटर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र से बाहर संचालित किसी गतिविधि के लिए कोई ड्यूटी लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(viii) अमेली जिला, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ई कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। नोट किया गया कि कुछ गतिविधियां अधिकृत प्रचालनों की डिफाल्ट सूची में शामिल हैं जिनके लिए अनुमोदन बोर्ड के अलग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक शेष गतिविधियों का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 4 के अनुसार मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ix) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में अधिकृत प्रचालन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने परियोजना के हाउसिंग फेज 1 में 2035 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में क्लब हाउस स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि इसका प्रयोग केवल एसईजेड के निवासियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा।

(x) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड की यह राय थी कि अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2006 के अंतर्गत शामिल आईटी / आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत गतिविधियों के लिए सामान्यतया अनुमोदन बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अनुमोदन बोर्ड ने कहा कि इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए अगली बैठक में अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तदनुसार अनुदेश जारी किए जा सकते हैं। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 5 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xi) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 6 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xii) गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 7 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xiii) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स पेरोट सिस्टम टीएसआई इंडिया लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान विकासक ने सूचित किया कि सभी अधिकृत गतिविधियों का प्रस्ताव प्रसंस्करण क्षेत्र में किया गया है। नोट

किया गया कि अधिकांश गतिविधियां डिफाल्ट सूची के अंतर्गत आती हैं और विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जहां तक पावर बैकअप की सुविधाओं का संबंध है, अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि विकासक सटीक आवश्यकता के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 8 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xiv) विद्युत संयंत्र की क्षमता में सुधार के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने बताया कि 50 किलोवाट के विद्युत संयंत्र की पिछली आवश्यकता, जिसके लिए अनुमोदन बोर्ड का अनुमोदन मांगा गया था, टंकण की भूल थी और यह 50 किलोवाट के स्थान पर 50 मेगावाट होनी चाहिए। विचार विमर्श के बाद, 50 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि यह केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए होगा और एसईजेड से बाहर बिजली की बिक्री नहीं की जाएगी।

(xv) मोहाली, पंजाब में फर्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि 21 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक का अनुरोध आस्थगित कर दिया गया था। विकासक ने विकासक के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी स्वयं की फर्मास्युटिकल यूनिटों को औद्योगिक अवसंरचना की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत गतिविधियों के अनुमोदन के लिए अपने अनुरोध को दोहराया। अनुमोदन बोर्ड ने विकासक के इस आश्वासन को नोट किया कि यदि ये एसईजेड अधिनियम की परिभाषा के अनुसार अवसंरचना गतिविधियां हैं तो विकासक द्वारा इनका संचालन किया जा सकता है। अन्यथा इनको यूनिट के रूप में शामिल करना होगा जिसके लिए यूनिट अनुमोदन समिति से मंजूरी लेनी होगी।

(xvi) चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर डीजी रूम, एचएसडी यार्ड, ईएंडआर बिल्डिंग में आडिटोरियम, कॉमन डाटा सेंटर, प्लेग्राउंड तथा बस बे जैसी गतिविधियों के लिए अनुमोदन बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 9 के अनुसार अन्य अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

जहां तक जिम, मनोरंजन, फुर्सत एवं सुविधा ब्लाक जिसमें इंडोर / आउटडोर गेम्स, क्रेच, क्लीनिक और चिकित्सा केन्द्र, बैंकिंग की सुविधाएं, कैफेटीरिया, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और रिटेल स्पेस शामिल हैं, से संबंधित मदों के संबंध में नोट किया गया कि विशिष्ट मात्रा के बगैर ये 22 जून 2007 के एजेंडा में सूचीबद्ध थे। इन मदों के लिए सह विकासक को विशिष्ट अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। बताया गया कि एसईजेड के कर्मचारियों के विशिष्ट प्रयोग के लिए इसका प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्ताव किया गया है और यह अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2006 का अंग है। निर्णय लिया गया कि सह विकासक को अधिकृत गतिविधियों की सूचना प्रदान करने वाले पिछले पत्र का शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएंगे।

(xvii) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इंफोसिस टेक्नोलाजी लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 10 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों की मात्रा के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(xviii) तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स महिंद्रा इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक ने अधिकृत गतिविधियों की अपनी आवश्यकता पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर प्लेग्राउंड तथा बस बे जैसी गतिविधियों के लिए अनुमोदन बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 11 के अनुसार अन्य अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

जहां तक जिम, मनोरंजन, फुर्सत एवं सुविधा ब्लाक जिसमें इंडोर / आउटडोर गेम्स, क्रेच, क्लीनिक और चिकित्सा केन्द्र, बैंकिंग की सुविधाएं, कैफेटीरिया, रेस्टोरेंट, शॉपिंग और रिटेल स्पेस शामिल हैं, से संबंधित मदों के संबंध में नोट किया गया कि विशिष्ट मात्रा के बगैर ये 22 जून 2007 के एजेंडा में सूचीबद्ध थे। इन मदों के लिए सह विकासक को विशिष्ट अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। नोट किया गया कि एसईजेड के कर्मचारियों के विशिष्ट प्रयोग के लिए इसका प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रस्ताव किया गया है और यह अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 2006 का अंग है। निर्णय लिया गया कि सह विकासक को अधिकृत गतिविधियों की सूचना प्रदान करने वाले पिछले पत्र का शुद्धिपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान किए जाएंगे।

मद संख्या 4 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डब्ल्यूडीसी टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध

मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

(iii) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फोरम आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iv) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स विगनेश हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी, मैसर्स अविनाश हाईटेक सिटी-2 सोसाइटी और मैसर्स गंगा हाइटेक सिटी-2 सोसाइटी के अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि उपर्युक्त अनुरोधों पर पहले चर्चा हुई थी तथा 21 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक का अनुरोध आस्थगित कर दिया गया था। राजस्व विभाग ने यह मुद्दा उठाया कि सह विकासक के रूप में उपर्युक्त समितियां शायद ही कोई

निवेश या कार्य करेंगी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया।

(v) चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा रेजिडेंसियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि दो सह विकासकों अर्थात मैसर्स महिंद्रा रेजीडेंशियल डवलपर्स लिमिटेड, मैसर्स महिंद्रा इंटीग्रेटेड टाउनशिप लिमिटेड और विकासक अर्थात महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार किया गया है। राजस्व विभाग ने कहा कि वर्तमान मामले में महिंद्रा इंटीग्रेटेड टाउनशिप लिमिटेड जो स्वयं सह विकासक है, सह विकासक नियुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया क्योंकि और जांच की आवश्यकता है।

मद संख्या 5 : एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे केवल 486.31 हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल करने की सिफारिश करते हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड में 486.31 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) हासन, कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने हासन, कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का क्षेत्रफल 159.733 हेक्टेयर से घटाकर 115.33 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक द्वारा इस प्रकार हटाए गए क्षेत्रफल के संबंध में कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

(iii) कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में 1850.5665 हेक्टेयर शामिल करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

जोन के विकास आयुक्त ने बताया कि प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र संस्पर्शी है, खाली पड़ा है और उस पर विकासक का कब्जा है। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड में 1850.5665 हेक्टेयर शामिल करने के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के अनुरोध के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने चेंगलपेट, कांचीपुरम, तमिलनाडु में आईटी एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र से 6.63 हेक्टेयर की कटौती के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक द्वारा इस प्रकार हटाए गए क्षेत्रफल के संबंध में कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

(v) यवतमाल, महाराष्ट्र में वस्त्र एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए एमआईडीसी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने यवतमाल, महाराष्ट्र में वस्त्र एसईजेड का क्षेत्रफल 208 हेक्टेयर से घटाकर 108 हेक्टेयर करने के लिए मैसर्स एमआईडीसी के अनुरोध को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक द्वारा इस प्रकार हटाए गए क्षेत्रफल के संबंध में कोई कर लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

(vi) बंगलौर, कर्नाटक में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने / अधिसूचित करने के लिए मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 4.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विमुक्तीकरण के लिए अनुरोध को वापस ले लिया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि 1.31 हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल करने के अनुरोध के लिए अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अधिसूचित क्षेत्रफल में 5.21 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को शामिल करने के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड द्वारा 10 अक्टूबर 2006 को आयोजित अपनी बैठक में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। तद्नुसार, यह निर्णय लिया गया कि विकासक के अनुरोध को वापस ले लिया गया समझा जाए।

मद संख्या 6 : झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन और क्षेत्रफल में कटौती के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का प्रस्ताव

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 7 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड में निकास और प्रवेश के दो बिंदुओं के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 8 : सोनीपत, हरियाणा में इंजीनियरिंग माल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन को एसपीवी कंपनी है के नाम में हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राजस्व विभाग ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि उनको शेयर होल्डिंग के पैटर्न से संबंधित दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 9 : गुड़गांव, हरियाणा में बहु उत्पाद एसईजेड की फेंसिंग में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि विकास आयुक्त / यूनिट अनुमोदन समिति के स्तर पर इस मामले में निर्णय लिया जाए।

मद संख्या 10 : जयपुर, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड अनुमोदित हो चुका है और बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की तथा स्पष्ट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कुछ जल पिंड हैं जिनको उसी रूप में अनुरक्षित किया जा सकता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ये यह भी बताया कि यह जयपुर विकास प्राधिकरण तथा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में

103.11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा।

मद संख्या 11 : जयपुर, राजस्थान में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड अनुमोदित हो चुका है और संपूर्ण क्षेत्र उपलब्ध हो जाने पर बहु उत्पाद एसईजेड में परिवर्तन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव की सिफारिश की। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने जयपुर, राजस्थान में 104.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोमोटिव / आटोमोटिव कंपोनेंट सहित लाइट इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 12 : कालंबोली, नवी मुंबई में तीन एसईजेड के सेक्टर में परिवर्तन के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि कालंबोली, नवी दिल्ली में 3 एसईजेड के सेक्टर को लाइट इंजीनियरिंग से बदलकर बहु सेवा, फर्मास्युटिकल से बदलकर आईटी / आईटीईएस और जैव प्रौद्योगिकी से बदलकर आईटी / आईटीईएस करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।

मद संख्या 13 : चिकित्सा क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए सूरत एसईजेड, साचिन में यूनिट स्थापित करने के लिए डा. विक्रम आई शाह, अहमदाबाद का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 14 : गोवा में एसईजेड के प्रस्तावों को वापस लेने / अधिसूचित एसईजेड से संबंधित मुद्दा

अनुमोदन बोर्ड ने गोवा सरकार के निम्नलिखित अनुरोधों को नोट किया :

(i) 7 मामलों (तीन अधिसूचित मामलों सहित) जहां अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों को वापस ले लिया गया समझा जाए और अनुमोदन बोर्ड भी इन मामलों में अनुमोदन वापस ले सकता है।

(ii) 8 मामलों जहां नई सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया गया हे, के संबंध में गोवा सरकार द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों को वापस ले लिया गया समझा जाए और इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न की जाए।

(iii) भारत सरकार गोवा में 3 अधिसूचित एसईजेड को विमुक्त कर सकती है।

विधि विभाग की राय के साथ मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य सरकार तथा विधि विभाग के मतों के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

i. राज्य सरकार की सिफारिश वापस लिए जाने के आलोक में ऐसे मामलों को वापस ले लिया गया समझा जाएगा जहां अभी तक कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

ii. ऐसे प्रस्तावों के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे जो अधिसूचित नहीं किए गए हैं परंतु औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए जा चुके हैं।

iii. तीन अधिसूचित एसईजेड के संबंध में, कहा गया कि काफी निवेश किया जा चुका है क्योंकि परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में विकासक आगे बढ़ चुके हैं। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश और भूमि के आवंटन के बाद ही पिछले अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। अब यदि इस चरण पर राज्य सरकार इन एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध करती है तो राज्य सरकार को विकासकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी पड़ सकती है। इसके अलावा, अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासकों द्वारा प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ / छूट की वापसी का मुद्दा भी उठेगा। इसलिए सिफारिश की गई कि अनुमोदन बोर्ड के अध्यक्ष मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के मद्देनजर राज्य सरकार तथा विकासक के साथ बातचीत शुरू करें और इसके बाद अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामला लाया जाए।

पूरक एजेंडा तथा पूरक एजेंडा का परिशिष्ट

मद संख्या 1 को छोड़कर पूरक एजेंडा तथा पूरक एजेंडा के परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रस्ताव आस्थगित कर दिए गए।

अनुबंध 1

अर्बन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड

1. विद्युत वितरण प्रणाली
2. स्थल विकास एवं मृदा बंध
3. सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणालियां

अनुबंध 2

अर्बन कम्युनिकेशन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई

1. एसईजेड के अंदर प्रयोग के लिए दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं और इंटरनेट कनेक्टिविटी
2. सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
3. सार्वजनिक परिवहन प्रबंध प्रणाली
4. पार्किंग प्रबंध प्रणाली

अनुबंध 3

अर्बन वाटर सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, नवी मुंबई

1. वाटर बाटलिंग प्लांट को छोड़कर जलापूर्ति प्रणालियां
2. निस्सारी / अपशिष्ट जल प्रबंध प्रणाली
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली
4. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम

अनुबंध 4

कम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमरेली, गुजरात

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

1. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
2. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
3. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
4. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
5. क्रेच
6. खेल के मैदान
7. बस बे

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमोदित मात्रा
1.	कार्यालय स्थान एवं प्रशासनिक भवन	2500 वर्गमीटर
2.	हॉस्पिटल	540 वर्गमीटर में 5 बिस्तर वाला अस्पताल
3.	तकनीकी संस्था और/या व्यावसायिक संस्था	1200 वर्गमीटर
4.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	1500 वर्गमीटर
5.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	10 मेगावाट
6.	स्वीमिंग पूल	25 मीटर X 15 मीटर
7.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	500 वर्गमीटर
8.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	500 वर्गमीटर

अनुबंध 5

मैसर्स सीव्यू डवलपर्स लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमोदित मात्रा
1.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	30 मेगावाट*
2.	मल्टी लेवल कार / टू हवीलर पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	-
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम आदि सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1100 वर्गमीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	3000 वर्गमीटर
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	1000 वर्गमीटर
6.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	950 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	1100 वर्गमीटर
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1000 वर्गमीटर
9.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	750 वर्गमीटर
10.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां	--

* केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए उत्पादित विद्युत की बिक्री एसईजेड के बाहर नहीं होगी।

अनुबंध 6

मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमोदित मात्रा
1.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	30 मेगावाट*
2.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	-
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1000 वर्गमीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	2000 वर्गमीटर
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	1000 वर्गमीटर
6.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	1000 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	1500 वर्गमीटर
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1000 वर्गमीटर
9.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	750 वर्गमीटर
10.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां	--

* केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए उत्पादित विद्युत की बिक्री एसईजेड के बाहर नहीं होगी।

अनुबंध 7

मैसर्स यूनीटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमोदित मात्रा
1.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	45 मेगावाट*
2.	मल्टी लेवल कार / टू व्हीलर पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	-
3.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	1900 वर्गमीटर
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	5700 वर्गमीटर
5.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	3450 वर्गमीटर
6.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	950 वर्गमीटर
7.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	3000 वर्गमीटर
8.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1200 वर्गमीटर
9.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	1500 वर्गमीटर
10.	ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां	--

* केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए उत्पादित विद्युत की बिक्री एसईजेड के बाहर नहीं होगी।

अनुबंध 8

मैसर्स पेरोट सिस्टम्स टीएसआई इंडिया लिमिटेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में 52000 वर्गफीट तक कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं

1. कैंटीन और फूड कोर्ट
2. व्यायाम क्षेत्र
3. सुविधा स्टोर

अनुबंध 9

इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सह विकासक), चेन्नई

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	गतिविधि	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	निस्सारी शोधन संयंत्र	2162
2.	टू-व्हीलर पार्किंग	5620
3.	मल्टी लेवल टू हवीलर पार्किंग	8750
4.	कार पार्किंग (सर्फेस)	22130
5.	कार पार्किंग मल्टी लेवल	73500
6.	बस पार्किंग	12750
7.	फूड कोर्ट	
क	फूड कोर्ट 1	5000
ख	फूड कोर्ट 2	5600
ग	फूड कोर्ट 3	5000
(घ)	फूड कोर्ट 4	5000
(ड.)	फूड कोर्ट 5	7000

अनुबंध 10

इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मंगलोर एसईजेड

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**गतिविधि**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	बहिःस्त्रावी शोधन संयंत्र	650
2.	भूमिगत जलाशय 1	500
3.	भूमिगत जलाशय 2	625
4.	दो पहिया पार्किंग और कार पार्किंग	22000
5.	स्वीमिंग पूल	25X15
6.	खेल परिसर तथा मनोरंजन की सुविधाएं (लांड्री, बैंक, सैलून, डिपार्टमेंटल स्टोर, इनफोसिस शॉप, बुक शॉप और चिकित्सा केन्द्र)	8350
7.	सामान्य डाटा केन्द्र	500
8.	बस बे	1900
9.	फूड कोर्ट	6500
10.	सुरक्षा ब्लॉक	1750

अनुबंध 11

इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सह विकासक), केरल

प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन

क्र. सं.	**गतिविधि**	**अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)**
1.	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि	440
2.	मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)	33,716
3.	व्यवसाय और/या सम्मेलन केन्द्र	2500
4.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	1600
5.	खेल का मैदान	12,375
6.	बस बे	3,517
7.	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं	200